न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 11/2016

प्रार्थी–

अणदुदेवी पत्नी टीकाराम
जाति जाट निवासी निरीया
नाडा (पांयला कला) तह0
सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा तह. सिणधरी जिला बाडमेर
2. नाथाराम पुत्र भेराराम
3. सताराम पुत्र भेराराम
   जातियान जाट निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 301 दिनांक 02.01.2008 जो अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27.08.2019

1. प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के तहत ग्राम सिणधरी चौसीरा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 301 दिनांक 02.01.2008 जारी किया गया। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम

जिला कलक्टर
बाडमेर

1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सिणधरी चौसीरा मे कई फर्जी पट्टे जारी किये थे और अन्य कई प्रकार के घोटाले व गबन किया था और बाद मे सबूतों को नष्ट करने के लिये पंचायत का समस्त रेकर्ड जला दिया गया था। आलौच्य पट्टा सं. 301 दिनांक 02.01.2003 को जारी किया हुआ नही हैं क्योंकि यदि यह पट्टा उक्त तिथी को जारी किया होता तो उसकी प्रति सिविल न्यायालय बालोतरा मे वाद सं. 20/2002 अनवान अणदु देवी बनाम नाथाराम वगैरह मे अवश्य पेश करते जो दिनांक 23.04.2016 को पेश की हैं। विवादित पट्टे के नाप व पड़ौस पूर्व मे जारी आबादी सर्वे रिपोर्ट, सिविल वाद की मौका कमिश्नर रिपोर्ट, पूर्व मे विभिन्न मामलों मे बनाई गई पुलिस थाना सिणधरी के द्वारा मौका रिपोर्ट मय नक्शा मे भी मेल नहीं खाते है, इस आधार पर आलौच्य पट्टा विलेख खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि विवादित पट्टा अन्तर्गत आने वाली भूमि प्रार्थीनी के पति टीकाराम ने वर्ष 1989 मे जरिये रजिस्ट्री खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था और रहवास हेतु दो पड़वे व पानी का टांका बनाया गया। उक्त भूमि का आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के तत्कालीन सरपंच हिमताराम सैन द्वारा जारी किया गया है जिसके खिलाफ फर्जी पट्टे जारी करने, पंचायत का

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रेकर्ड गायब करने का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके फलस्वरूप उसे निलम्बित किया गया। उक्त निलम्बित सरपंच द्वारा पुरानी तारीखों मे पट्टे जारी किये गये है। आलौच्य पट्टा विलेख विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को नहीं अपनाकर, निगरानीकर्ता के कब्जे व अन्य किसी प्रकार की कोई सूचना आदि नहीं देकर फर्जी पट्टा पुरानी तारीख मे जारी किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं। अतः प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 301 दिनांक 02.01.2008 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 301 दिनांक 02.01.2008 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। पंचायतीराज कानून मे निगरानी प्रस्तुत करने की कोई मयाद निर्धारित नहीं की गई है परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई न्याय दृष्टान्तों में किसी पट्टे को निगरानी के माध्यम से चुनौती देने की मयाद 3 वर्ष निर्धारित की है। इस प्रकरण मे ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा पट्टा संख्या 301 दिनांक 02.01.2008 को जारी किया गया है, जिसकी वैधता, औचित्यता या अनियमितता के बारे मे दिनांक 18.05.2016 को लगभग 8 वर्ष बाद असाधारण विलम्ब (Inordinate delay) के बाद चुनौती दी हैं। इस असाधारण विलम्ब को क्षमा करने हेतु निगरानीकर्ता की ओर से पृथक से कोई धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद के बिन्दु पर निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा यह भी प्रकट किया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मे सारे तथ्य गलत, निराधार एवं भ्रम उत्पन्न करने हेतु अभिकथित किये है जबकि वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष मे विधि अनुसार पट्टा जारी किया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं तथा इसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही की हैं। विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 का अवासीय मकान कई वर्षो से उपयोग करते आ रहे हैं परन्तु इसका पट्टा नही होने से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पुराने गृह विनियमितीकरण करने हेतु आवेदन पत्र मय नक्शा ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत किया तथा नियमानुसार 50 रुपये फीस जमा करवाये। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम कर वादग्रस्त स्थल का मौका देखने हेतु ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की कमेटी का गठन कराके मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी तथा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि मे किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही होने पर आलौच्य पट्टा सं. 301 दिनांक 02.01.2008 को जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सारी प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे पट्टा जारी किया हैं जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही हैं। दिनांक 09.03.2008 को ग्राम पंचायत सिणधरी भवन मे विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से ग्राम पंचायत का रेकर्ड जल गया जिससे अप्रार्थीगण के पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है किन्तु इससे यह कयास नहीं लगाया जा सकता हैं कि पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष मे पट्टा जारी करने की कोई पत्रावली कायम नहीं की हैं। अतः प्रार्थीनी का निगरानी प्रार्थना पत्र गलत, निराधार एवं मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही की गई है। यह भी कथन किया है कि विवादित भूमि उसके पति द्वारा पंजिबद्ध विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है तथा इस भूमि से सम्बन्धित सिविल न्यायालय बालोतरा मे विचारित वाद सं: 20/2002 मे आलौच्य पट्टा दिनांक 23.04.2016 को प्रस्तुत किया है अर्थात् 02.01.2008 को जारी पट्टा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इतनी लम्बी समयावधि बाद प्रस्तुत करना जाहिर करता हैं कि यह पुरानी तारीख मे जारी करवाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नजीर 2015(4) डीएनजे (राज) पेज सं. 1853 एवं एसबी सिविल रिट संख्या 841/2019 निर्णय दिनांक 17.01.2019 की प्रतियां प्रस्तुत कर कथन किया कि पंचायतीराज नियमों के अधीन जारी पट्टों के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मयाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 वर्ष निर्धारित की गई हैं जबकि आलौच्य पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र करीब 8 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया हैं जो मयाद बाहर हैं। मयाद के बिन्दु पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्य इस आधार पर ग्राह्य नही हैं कि क्योंकि स्वंय अप्रार्थी ने आलौच्य पट्टा की प्रति सिविल न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे अत्यन्त ही देरी से प्रस्तुत की हैं, ऐसे मे यह स्पष्ट नही हो रहा हैं कि आलौच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड पर स्वामित्व व कब्जा किस पक्षकार का है, किन्तु ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों का पालना करते हुए जारी किया जाना प्रतीत नही हो रहा है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों मे पंचायत की कार्यवाही के किसी प्रक्रम का ठोस प्रमाण प्रकट नही किया गया है और न ही किसी अन्य न्यायालय अथवा उप पंजियक के समक्ष उक्त पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा पंजिबद्ध कराये जाने का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है, जिसके आधार पर उसकी सत्यता एवं वैधानिकता को माना जावें। ऐसे मे ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने मे नियमानुसार रेकर्ड संधारित कर कार्यवाही किया जाना नही पाया जाता है तथा अनियमित रूप से मात्र पट्टा विलेख जारी किया गया है जो अवैध, अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7.

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्राथीर्नी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 301 दिनांक 02.01.2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर